कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/एल.एम–331– 254/ २०१8 रायपुर, दिनांक 28/08/2019

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल
छत्तीसगढ़

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for the Approach Road from mines to Public Road covers an area of 0.95 ha. and the Power Line covers an area of 1.62 ha. The Forest land is required for approach road and drawing overhead Power Line to our Mines, total area – 2.58 ha. regarding**

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/मा. चि./न. क्र.–78/ 2019/ 2131 दिनांक 16.08.2019

–00–

विषयान्तर्गत संदर्भ पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता मेसर्स बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल अंतर्गत आरक्षित / संरक्षित वन भूमि में रकबा 2.58 हे. में पहुंच मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार कमियां पाई गई है:–

1. प्रस्ताव का आवरण पत्र 44 बिन्दु में नहीं है।
2. 27 बिन्दु की चेक लिस्ट प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के पृ. क्रमांक 9 चेक लिस्ट क्रमांक 7 प्रपत्र–4 अपूर्ण है। प्रपत्र–4 का नमूना संलग्न है। इसमें 16 बिन्दुओं की जानकारी दी जानी होती है। प्रस्ताव में 14 बिन्दुओं का प्रपत्र लगाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। शासन द्वारा इस प्रपत्र पर पूर्ण जानकारी चाही जा रही है अतः दिये गये नमूने में पूर्ण जानकारी औचित्य सहित भरी जावें।
4. प्रस्ताव के पृ. क्र.32 पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के संबंध में दी गई टीप मान्य योग्य नहीं है। वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रकरण में लागू होगी। तदनुसार अनुमोदित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न की जाए तथा इसकी सेप फाईल, के.एम.एल फाईल तथा डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट एवं वन मंडलाधिकारी द्वारा जारी स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाए तथा वेब पर भी अपलोड की जावे। गैर वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण को प्राथमिकता देवें। यदि दुगुना नारंगी वन क्षेत्र चुना जाता है तो इस क्षेत्र के लिये कलेक्टर की अनापत्ति भी प्रेषित करें।
5. प्रस्ताव के पृ. क्र. 44 प्रपत्र –3 में वन मंडलाधिकारी का नाम अंकित नहीं है।
6. अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
7. वन अधिकार वितरण संबंधित प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड नहीं किया गया है।
8. बिन्दु–4 की पूर्ति उपरांत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से संबंधित आवश्यक सुधार वेब पर भी किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में मूलतः संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– प्रस्ताव 4 प्रतियों में

(मुख्य वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स.(भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

- 382- Letter Minig 2019 (1)

पृ. क्र./ भू–प्रबंध/खनिज/एल.एम–331–254/ 2099 रायपुर, दिनांक 28/08/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

— **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त कांकेर, छत्तीसगढ़।

— **Director,** Shri Bajrang Power and Ispat Limited, Village Borjhara, Urla-Guma Road, Raipur –

(मुख्य वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़